

फर्द अहकाम

संघम कलक्टर चौध
 रामजीलाल बनाम रामचन्द्र

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्र. 74/69/2018

वाफ

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/04/23	<p>व. वादी उप.। गवाह रामजीलाल व लक्ष्मण उप.। पिनडे साक्ष्य के अभाव-पत्र उस्तुत किये गये। साक्ष्य अथवा पत्रों को लक्ष्मी किये गये। वादी अधिवक्ता ने भागे और साक्ष्य पेश नहीं कर सके ही बहस करने हेतु भिषेदन किया। बहस लुकी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अपलाकन किया गया। बहस पर भनन किया गया। वादी को वाद स्वीकार किया जाकर वाद के उत्तर डिट्टी किया जाता है। निर्णय पृष्ठक में लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अन्तिम डिट्टी जारी है। लक्ष्मीलाल-पौत्र को लक्ष्मीर जारी होकर पत्रावली वास्तु अज्ञेय रिपोर्ट दिनांक 17/4/23 को पेश है।</p>	<p>लक्ष्मीलाल पौत्र रिपोर्ट दिनांक 17/4/23</p>
	17/4/23	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर चौध/अकाउन्स पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02/06/23 को पेश है।</p>	<p>सहायक कलक्टर चौधू (जयपुर)</p>
	02.06.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। अतिवकील के विरुद्ध जूरी के रूप में कार्यवाही समुल के लाई जा चुकी है। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी के पत्रावली में मुताबिक अज्ञेय रिपोर्ट दिनांक 12.05.2023 के अज्ञेय</p>	<p>सहायक कलक्टर चौधू (जयपुर)</p>


फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

राजजीलाल वगै0 बनाम रामस्वरूप वगै0
 सहायक कलक्टर, चौमू

केस संख्या

34/69/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>डिफेंडि की जमीन का निर्देश किया। फर्मावली का मुखलौकन किया गया। प्राप्त मुद्देजाल रिपोर्ट दिनांक 12.5.23 को फर्मावली में शामिल मिसल किया गया। बाड़ी का बंद अंतिम डिफेंडि किया जाता है। डिफेंडि जारी होने। विस्तृत निर्देश प्रथम से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। फर्मावली फर्मावली बुतार होकर दर्ज नम्बर से कर है तथा दाखिल इफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर) </p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-सुश्री पूजा मीणा (R.A.S.)

मुकदमा नं0-74/69/2018

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र सैत्या
2. बाबूलाल पुत्र सैत्या
3. गोपाल पुत्र सैत्या
4. नन्दकिशोर पुत्र सैत्या

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण-

बनाम

1. रामस्वरुप पुत्र छीतर
2. श्रवण कुमार पुत्र छीतर

3. समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हस्तेडा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. बैंक ऑफ बडोदा शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबततकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:-02.06.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी को को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित 12.05.2023 के अनुसार वाद पत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली, कुर्रैजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 12.05.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित कृषि भूमि


सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाके ग्राम हस्तेडा तहसील चौमू जिला-जयपुर में स्थित खाता संख्या 191/182 के खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 1775 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 1776 रकबा 1.088 है0, ख.नं. 717/1899 रकबा 3.21 है0, ख0नं0 718 रकबा 3.77 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. रामस्वरुप पुत्र छीतर हिस्सा 173/354, जाति मीणा सा0 देह खातेदार, श्रवण कुमार पुत्र छीतर हिस्सा 181/354, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेडा के हिस्से में खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1776/2 रकबा 1.75 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।
2. रामस्वरुप पुत्र छीतर हिस्सा सम्पूर्ण, जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 1776/1 रकबा 0.04 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
3. रामस्वरुप पुत्र छीतर हिस्सा 1/2, जाति मीणा सा0 देह खातेदार, श्रवण कुमार पुत्र छीतर हिस्सा 1/2, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेडा के हिस्से में खसरा नं0 718/2 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 717/1899/2 रकबा 1.55 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शायी गई है।
4. गोपाल पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेडा, नन्दकिशोर पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेडा, बाबूलाल पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन B.O.B. शाखा चौमू, रामजीलाल पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेडा, के हिस्से में खसरा नं0 718/1 रकबा 2.69 है0, खसरा नं0 717/1899/1 रकबा 1.66 है0, खसरा नं0 1776/3 रकबा 0.09 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 4.44 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
चौमू चौमू(पुर)

मु0सं0-74/69/2018
उनवान-रामजीलाल वगै0 बनाम रामस्वरुप वगै0
निर्णय दिनांक:-02.06.2023

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-सुश्री पूजा मीणा (R.A.S.)

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र सैत्या
 2. बाबूलाल पुत्र सैत्या
 3. गोपाल पुत्र सैत्या
 4. नन्दकिशोर पुत्र सैत्या
- समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-वादीगण-

बनाम

1. रामस्वरुप पुत्र छीतर
 2. श्रवण कुमार पुत्र छीतर
- समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
 4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हस्तेडा जरिये शाखा प्रबंधक।
 5. बैंक ऑफ बडोदा शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।

-प्रतिवादीगण


वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-74/69/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रुबरू सुश्री पूजा मीणा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला-जयपुर में स्थित खाता संख्या 191/182 के खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 1775 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 1776 रकबा 1.088 है0, ख.नं. 717/1899 रकबा 3.21 है0, ख0नं0 718 रकबा 3.77 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 12.05.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-


सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

1. रामस्वरुप पुत्र छीतर हिस्सा 173/354, जाति मीणा सा0 देह खातेदार, श्रवण कुमार पुत्र छीतर हिस्सा 181/354, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेड़ा के हिस्से में खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1776/2 रकबा 1.75 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।
2. रामस्वरुप पुत्र छीतर हिस्सा सम्पूर्ण, जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 1776/1 रकबा 0.04 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
3. रामस्वरुप पुत्र छीतर हिस्सा 1/2, जाति मीणा सा0 देह खातेदार, श्रवण कुमार पुत्र छीतर हिस्सा 1/2, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेड़ा के हिस्से में खसरा नं0 718/2 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 717/1899/2 रकबा 1.55 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शायी गई है।
4. गोपाल पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेड़ा, नन्दकिशोर पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेड़ा, बाबूलाल पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन B.O.B. शाखा चौमूं, रामजीलाल पुत्र सैत्या हिस्सा 1/4, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन R.M.G.B. शाखा हस्तेड़ा, के हिस्से में खसरा नं0 718/1 रकबा 2.69 है0, खसरा नं0 717/1899/1 रकबा 1.66 है0, खसरा नं0 1776/3 रकबा 0.09 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 4.44 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 02.06.2023 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....
सहायक कलक्टर
ओहदा.....चौमूं (जयपुर)

क्रमांक	प्रतिवादी	mob. No.
9950858273		
9829941133		
9941133		

17/02/2023	17/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	03/02/23	03/02/23	03/02/23	03/02/23
------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

मु0सं0-74/69/2018
 उनवान-रामजीलाल वगै0 बनाम रामस्वरुप वगै0
 निर्णय दिनांक:-02.06.2023

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	0
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

Handwritten signature

सहायक कलक्टर
 जेठे (जयपुर)